न्यायालय: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी	:	राजीव चौधरी, आर.जे.एस.
नियमित आपराधिक प्र. सं.	:	396/2017
सी.आई.एस. संख्या	:	**Cr. Reg**/396/2017
सी0 एन 0 आर 0 संख्या	:	**RJBW**150001762017

राजस्थान राज्य - अभियोगी

ब ना म

सत्यनाराण पुत्र नरसिंह लाल उम्र 53 साल निवासी संतोषनगर जहाजपुर भीलवाडा।

- अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:

01. अभियोजन अधिकारी, राज्य पक्ष की ओर से।
02. श्री कमल गौड, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ओर से।

Date of Offence	30-10-2017
Date of FIR	04-11-2017
Date of Chargesheet	15-12-2017
Date of Framing of Charges	15-12-2017
Date of commencement of evidence	26-07-2022
Statement u/s 313 Cr.P.C. Recorded on	25-11-2025
Arguments heard on	18-07-2026
Date of the Judgement	18-07-2026

::-निर्णय-::

दिनांक- 18-07-2026

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 30-10-2017 को प्रार्थी ओमप्रकाश पिता प्रताप कीर उम्र 23 साल निवासी जहाजपुर ने उपस्थित थाना जहाजपुर हो एक लिखित रिपोर्ट इस आषय की पेश की कि

दिनांक 30/10/17 को दिन के 2-3 बजे के बीच प्रार्थी व उसके ससुर बंशीलाल कीर मोटरसाइकिल मे जहाजपुर से पेटोल पम्प तेल भरवाने जा रहे थे कि नागदी के आगे रेगर समाज की दुकानो के सामने मुख्य सडक पर प्रार्थी अपनी साईड पे चल रहा था कि अंकित सोनी का पानी सपलाई का टैम्पु आर जे 06 जीए 9099 जिसका डाईवर करण मीणा दारा गफलत एवं लापरवाही से चलाता हुआ सामने मे आया व गलत साईड मे आकर प्रार्थी की मोटरसाईकल के टक्कर मार दी जिससे मोटरसाईकिल सहित वे नीचे गिर गये। जिससे बंशीलाल कीर के पैर मे पैक्चर आया। प्रार्थी ने तुरन्त जहाजपुर अस्पताल मे भर्ती कराया जहां से देवली रेफर कर दिया। देवली दयाल हास्पीटल मे भर्ती है ईत्यादी ...।

02. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना जहाजपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 218/2017 अंतर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त सत्यनारायण सोनी के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज नियमित फौजदारी किया गया।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया समझाया गया, जिस पर अभियुक्त ने आरोप सुन समझकर आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु नियत की गई।

04. साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह

क्रं.सं.	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.ड.-1	भगवती लाल	पुलिस बयान
पी.ड.-2	महावीर	नक्शा मौका
पी.ड.-3	डॉ. अमित गुप्ता	चोट प्रतिवेदन
पी.ड.-4	श्रवण नाथ	नक्शा मौका
पी.ड.-5	छीतरलाल	फर्द जब्ती
पी.ड.-6	अंकित	पुलिस बयान

पी.ड.-7	बंशीलाल	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.ड.-8	मोहन	फर्द सूरते हाल

को परीक्षित करवाया गया, जिनके बयान लेखबद्ध किए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में

प्रदर्श	दस्तावेज
प्रदर्श पी 1	फर्द मेकेनिकल मुआयना
प्रदर्श पी 2	चोट प्रतिवेदन बंशी लाल
प्रदर्श पी 3	एक्सरे प्लेट बंशीलाल
प्रदर्श पी 4	नक्शा मौका घटनास्थल
प्रदर्श पी 5	फर्द जब्ती टेम्पो
प्रदर्श पी 6	पुलिस बयान छीतरनाथ
प्रदर्श पी 7	पुलिस बयान अंकित कुमार
प्रदर्श पी 8	फर्द सूरतेहाल मोटरसाइकिल बिना नम्बरी एचएफ डीलक्स

दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया।

05. अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में किया गया, तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करनी चाही।

06. बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

(क) आया दिनांक 30-10-2017 को दिन के 2-3 बजे के बीच जहाजपुर से देवली जाने वाली सडक पर नागदी पुलिया से चावण्डिया चौराहे के बीच वाहन टेम्पो नम्बर **RJ**06-**GA**-9099 के चालक अभियुक्त सत्यनारायण सोनी ने उक्त् वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर अपनी दिशा में चल रही मोटरसाइकिल के टककर मारी जिससे मोटरसाइकिल सवार बंशीलाल को साधारण व गंभीर उपहतियां कारित कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित किया ?

(ख) यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड के पात्र होंगे?

07. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण में दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने अपनी सुदृढ़ मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध के तहत दोषसिद्ध करार दिया जावे।

08. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि मुख्य गवाहान के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। घटना को लेकर गवाहान के बयान एक दूसरे की साक्ष्य से परस्पर मेल नहीं खाते हैं। अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जो अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करती हो। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे।

09. विचारणीय बिन्दु के दृष्टिगत उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों वितर्कों के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उक्त विचारणीय बिन्दू के साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाहान को परीक्षित कराया गया है।

10. प्रकरण का महत्वपूर्ण गवाह **PW** 7 बंशीलाल है जो कि प्रकरण मे मजरूब भी है ने स्वंय की मुख्य परीक्षा में प्रकरण की जानकारी नहीं हाने का कथन किया है। उक्त् गवाह को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने कथन किये कि वर्ष 2017 की दिन के 2 बजे की बात है। गवाह व ओमप्रकाश मोटरसाईकिल से चावंडिया जा रहे थे। ओमप्रकाश मोटरसाईकिल चला रहा था सामने से एक टेम्पो चालक टेम्पो को तेज गति व लापरवाही से चलाकर लाया और उनके टक्कर मार दी जिससे उसके पैर फ्रैक्चर हो गया।

उसे मारूति वैन में डालकर अस्पताल ले गए। टेम्पो को सत्यनारायण सोनी चला रहा था। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किए हैं कि वे घटना के दिन बस स्टेण्ड से चावंडिया चौराहे आ रहे थे। टेम्पो उन्हें राडी जी की दुकान के आस-पास मिला। टेम्पो बस स्टेण्ड की ओर जा रहा था। टेम्पों में पानी की केन रखी हुई थी। इस सुझाव को स्वीकार किया कि टेम्पो वाला हर दुकान पर केन रखते हुए जाता है व धीरे-धीरे चलता है। उनकी मोटरसाईकिल 30 की स्पीड के आस-पास चल रही थी। इस सुझाव से इन्कार किया कि वक्त घटना टेम्पो खड़ा हुआ हो बल्कि धीरे-धीरे चल रहा था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था अकस्मात् घटना घटी। घटना किसकी गलती से हुई, उसे पता नहीं है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने क्लेम के लिए भी मुकदमा किया था, उन्हें उसमें कुछ नहीं मिला। इस सुझाव को स्वीकार किया कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन टेम्पो कौन चला रहा था, उसे पता नहीं है।

11. गवाह **PW** 2 महावीर ने स्वंय की मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि 2017 की बात है दोपहर 12 व 2 बजे के बीच की बात है वह श्याम जी चाष्ठा के यहां पट्टी फारसी की दुकान पर मजदूरी का काम करता था। रोंग साइड से एक टैम्पू आया टैम्पू चालक ने आगे पीछे कुछ नहीं देखा व मोटरसाइकिल चालक के टक्कर मार दी। उस मोटरसाईकिल पर दो लोग बैठे हुए थे जिनमें से एक का नाम बंशीलाल था दूसरे का उसे याद नहीं दुर्घटना में बंशीलाल को चोट आई थी वह ओमप्रकाश व श्रवण बंशीलाल को वैन में डालकर हॉस्पीटल लेकर गये थे। दुर्घटना टैम्पू चालक की गलती से हुई थी। टैम्पू चालक टैम्पू को रोंग साइड एक दम से ले रहा था उसमें टैम्पू चालक की गलती थी। पुलिस ने घटना मौका स्थान उसके सामने बनाया था। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किए कि घटना के दिन वह घटना स्थल के नजदीक ही था। फर्द निरिक्षण घटना स्थल किंसने बनाया उसे पता नही तथा उसके हस्ताक्षर भी नही करवाये। नक्शा मौका कहा बनाया उसे पता नही। एक्सीडेंट होने के बाद उसे पता चला कि एक्सीडेट हो गया है फिर वह दौड के गया । मोटरसाईकिल वाला पट्टी की स्टाक की तरफ था और टैम्पू वाला स्वंय की साइड ही था टैम्पू खडा हुआ था। ओमप्रकाश श्रवण उसके दौस्त है दोनो जाति से कीर है। और ये बंशीलाल के रिश्तेदार भी है।

ओमप्रकाश और श्रवण घटना स्थल पर बाद मे आये थे। एक्सीडेट श्याम जी चाष्टा की स्टाक के सामने ही हुआ। टैम्पू जहाजपुर बस स्टेड से चावडिया जा रहा था टैम्पू वाले को पानी की केन की सप्लाई करनी होती है उसे हर दस मीटर के बाद उसे रूकना पडता है टैम्पू वाला बिलकुल भी स्पीड मे नही था। और मोटरसाईकिल वाला 40 50 की स्पीड पर था।

12. गवाह **PW** 1 भगवती लाल ने सव्यं की मुख्य परीक्षा में कथन किए कि दिनांक 07.11.2017 को थाना जहाजपुर पर कानि0 चालक के पद पर तैनात था। उस दिन श्रीमान् एस.एच.ओ. साहब के आदेश से मुकदमा न0 218/2017 अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा0द0स0 में जब्तशुदा वाहन टाटा टेम्पू आर0जे0 06 जी.ए. 9099 थाना हाजा पर जब्तशुदा खड़ा मिला जिसका उसके द्वारा चैक कर मैकेनिकल किया गया। वाहन पूर्ण रूप से कम्पलीट था। चलाकर स्टार्ट कर देखा गया। वाहन में किसी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी नही थी। मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी0 01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने मेकेनिकल मुआयना करने हेतु डिप्लोमा नहीं कर रखा हो। इस सुझाव को स्वीकार किया कि टेम्पू पर दुर्घटना के कोइ निशानात नहीं थे।

13. गवाह **PW** 3 अमित गुप्ता ने स्वंय की मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि दिनांक 05.11.17 को सी एच सी जहाजपुर में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन एसएचओ जहाजपुर की तहरीर कर मजरूब बंशीलाल पिता सुखदेव उम्र 45 साल निवासी जहाजपुर की चोटों का मेडिकल मुआयना उसके द्वारा किया गया था। जिसके शरीर पर निम्न चोटें थी चोट संख्या -1 बांए पेर पर प्लास्टर बन्दा हुआ था जिसकी प्रकृति जानने के लिए एक्स रे एडवाईज किया गया था। चोट संख्या -2 टांके लगा हुआ घांव बांए हाथ की उंगली पर 2 सेंटीमीटर उक्त चोट साधारण प्रकृति की कुन्दालिया कारित की चोट संख्या 01 के एक्स रे प्राप्त होने पर पेटेला का अस्थी भंग होना पाया जाने से चोट संख्या 01 गंभीर प्रकृति की व कुन्दालिया कारित की चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2 है जिस पर ए से बी मजरूब का पहचान चिन्ह् सी से डी चोट बाबत् उसकी राय ई से एफ उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मजरूब की अंगुठा निशानी अंकित है। चोटो की अवधि सात दिन के भीतर

थी। एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी-3 है जिसके आधार पर उसके द्वारा राय दी गई थी। दौराने जिरह अधिवक्त अभियुक्त इस सुझाव को स्वीकार किया कि उपरोक्त चोटैं किस प्रकार से आयी वह नहीं बता सकता। एक्सरे उसकी उपस्थिति में कराया गया। प्लास्टर पहले से चढा हुआ था।

14. गवाह **PW** 4 श्रवण नाथ नक्शा मौक प्रदर्श पी 4 का गवाह है जिसने स्वंय की मुख्य परीक्षा में नक्शा मौका स्वंय के सामने बनाने के कथन किए हैं। दौराने जिरह अधिवक्त अभियुक्त में गवाह ने कथन किया कि वह नक्शे मौके में नहीं समझता वह तो लड्डा जी के बैठा था तभी वहां पुलिस वाले आये उन्होंने उससे एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए इसमें जो लिखा पढी की उसकी उसे जानकारी नहीं है।

15. गवाह **PW** 5 छीतरलाल ने स्वयं की मुख्य परीक्षा में प्रकरण की जानकारी नहीं होने के कथन किए है। उक्त् गवाह को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी गवाह ने कथन किए हैं कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी0 05 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने टेम्पो जब्त नहीं किया। इस सुझाव से इन्कार किया कि पुलिस ने उसके बयान लिए हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी0 06 का ऐ से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया। पुलिस ने क्यों लिखा, उसे पता नहीं है। इस सुझाव से इन्कार किया कि मुल्जिम को बचाने के लिए न्यायालय में झूठे बयान दे रहा है। गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कोइ जिरह नहीं की गयी।

16. गवाह **PW** 6 अंकित ने स्वयं की मुख्य परीक्षा में प्रकरण की जानकारी नहीं होने के कथन किए है। उक्त् गवाह को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी गवाह ने कथन किए हैं कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 का ए से बी भाग उसने नहीं लिखवाया। गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कोइ जिरह नहीं की गयी।

17. गवाह **PW** 8 मोहन ने स्वयं की मुख्य परीक्षा में प्रकरण की जानकारी नहीं होने के कथन किए है। उक्त् गवाह को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी

गवाह ने कथन किए हैं कि वर्ष 2017 में पुलिस ने उसके सामने फर्द सुरतेहाल प्रदर्श पी 08 बनायी थी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त् गवाह ने कथन किये कि प्रदर्श पी0 08 कहां पर बनाया उसे जानकारी नहीं है। प्रदर्श पी 08 पर उसके हस्ताक्षर कहां करवाए, उसे जानकारी नहीं है। पुलिस वालों ने उसे यह बोलकर हस्ताक्षर करवाए कि तेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया है इसलिए हस्ताक्षर करवाए।

18. बहस उभयपक्ष की सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण परिवादी ओमप्रकाश की ओर से पेश की गयी तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 04.11.2017 को दर्ज किया गया है। परिवादी ओमप्रकाश ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट व प्रथम सूचना रिपोर्ट में करण मीणा द्वारा वाहन टैम्पो आरजे 06 जीए 9099 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल सवार स्वंय ओमप्रकाश व बंशीलाल के टक्कर मारने से बंशी लाल के पैर में अस्थिभंग कारित होने के सबंध में तथ्य अंकित किए है। पुलिस ने बाद अनुसंधान अभियुक्त सत्यनारायण सोनी को बरवक्त घटना दुर्घटना कारित करने वाले वाहन आरजे 06 जीए 9099 का चालक मानते हुए आरोप पत्र पेश किया हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से इस संबंध में पेश की गयी साक्ष्य के विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से चश्मदीद साक्षी के रूप में पेश किए गए गवाह **PW** 5 छीतरलाल, **PW** 6 अंकित व **PW** 8 मोहन न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए है। अभियोजन पक्ष की ओर से **PW** *7* बंशीलाल मजरूब न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। उक्त गवाह भी न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है। परन्तु अभियोजन अधिकारी की ओर से जिरह किए जाने पर गवाह ने टेम्पों के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही से टेम्पो चलाकर मोटरसाईकिल के टक्कर मारने और उसका पैर फ्रेक्चर होने के कथन किए है। अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से जिरह में प्रश्न किए जाने पर इस गवाह ने दुर्घटना कारित करने वाले टेम्पो के चालक के संबंध में जानकारी होने से इन्कार किया हैं व दुर्घटना किसकी गलती से हुई इस संबंध में भी जानकारी होने से इन्कार किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से बरवक्त दुर्घटना मोटरसाईकिल पर बैठे मजरूब बंशीलाल को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाए जाने पर मजरूब ने अभियेाजन की कहानी की पुष्टि नहीं की है व दुर्घटना कारित करने वाले

टैम्पो के चालक के संबंध में व दुर्घटना किसकी गलती से हुई इस संबंध में जानकारी होने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। प्रकरण के परिवादी की विचारण के दौराने मृत्यु होने के कारण अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित नहीं कराया जा सका है। अन्य चश्मदीद साक्षी के रूप में गवाह **PW** 2 महावीर को परीक्षित कराया गया है। इस गवाह ने भी मुख्य परीक्षा में तो अभियेाजन की कहानी का समर्थन किया है परन्तु जिरह में दुर्घटना होने के पश्चात मौके पर जाने के कथन किए है व मौके पर जाने पर टैम्पों स्वंय की साईड में होना बताया है तथा बरवक्त दुर्घटना टेम्पो बिल्कुल भी स्पीड में नहीं होने के कथन किए है तथा मोटरसाईकिल 40-50 की स्पीड में होने के कथन किये है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों की साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए किसी भी गवाह ने दुर्घटना के समय टेम्पो संख्या आरजे 06 जीए 9099 के चालक द्वारा टेम्पो को तेज गति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करने के संबंध में कथन नहीं किए है, ना ही किसी भी गवाह ने बरवक्त दुर्घटना टेम्पों का चालक अभियुक्त सत्यनारायण सोनी होने के संबंध में कोई कथन किए है।

19. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियेाजन पक्ष न्यायालय के समक्ष यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 30-10-2017 को दिन के 2-3 बजे के बीच जहाजपुर से देवली जाने वाली सडक पर नागदी पुलिया से चावण्डिया चौराहे के बीच वाहन टेम्पो नम्बर **RJ**06-**GA**-9099 के चालक अभियुक्त सत्यनारायण सोनी ने उक्त् वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर अपनी दिशा में चल रही मोटरसाइकिल के टककर मारी जिससे मोटरसाइकिल सवार बंशीलाल को साधारण व गंभीर उपहतियां कारित कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया हो।

20. अतः अभियोजन साक्ष्य के उपरोक्त वर्णित विवेचनानुसार अभियुक्त सत्यनारायण सोनी को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:ः आदेश:ः

21. अतः अभियुक्त सत्यनाराण पुत्र नरसिंह लाल उम्र 53 साल निवासी संतोषनगर जहाजपुर भीलवाडा को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व के नियमित उपस्थिति बाबत पेश जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

{राजीव चौधरी}
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा

22. निर्णय आज दिनांक 18-07-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{राजीव चौधरी}
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा